~~30/7/20~~	30/7/20 को पेश हो।
	सहायक कलक्टर (एस. डी. ओ.) जायल (नागौर)
30/7/20	बकुलाम उपरोक्त वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शा० लि० किया गया। पत्रावली अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
	सहायक कलक्टर (एस. डी. ओ.) जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

तत्कालीन अधिकारी :— रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 85/2016

वादी—
1. संतोषसिंह पुत्र हीरसिंह
जाति—राजपूत निवासी—जालनियासर तहसील जायल जिला—नागौर

बनाम

1. उम्मेदसिंह पुत्र मगनसिंह
2. रतनसिंह पुत्र मगनसिंह
3. किशोरसिंह पुत्र मंगनसिंह
4. रणवीरसिंह पुत्र मगनसिंह
5. मु. सोनकवंर पत्नी स्व. मगनसिंह
6. पुष्पाकवंर पत्नी स्व. शेरसिंह
जातियान तमाम राजपूत निवासीगण जालनियासर तहसील जायल (नागौर)
7. इन्द्रसिंह पुत्र मुकनसिंह
8. करणसिंह पुत्र शेरसिंह
9. पूनमसिंह पुत्र शेरसिंह
जातियान समस्त राजपूत निवासीगण जालनियासर तहसील जायल (नागौर)
10. सरकार जरिये तहसीलदार जायल

दावा अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :—

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी
प्रतिवादी संख्या 1 से 10 की ओर से अधिवक्ता श्री दशरथसिंह, भगवानसिंह
प्रतिवादी संख्या 11 राजपेरोकार उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 30-07-2020

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादपत्र के पैरा संख्या 1 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10 की वंशावली दर्शाते हुये जरिये अधिवक्ता पेश कर ने निवेदन किया कि सभी वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10 एक परिवार के सदस्य है तथा पूर्वत श्री बलवन्तसिंह के उतराधिकारीगण है तथा आपस में भाई बंधु है। वादी एवं प्रतिवादीगण के पुश्तैनी बडेर के खेत खसरा नं. क्रमशः 148, 132, 121, 212, 218, 122/309,122/310,132/313,214,(18 बीघा) 214(15 बीघा) 212/343, 82,87,95, 95/303,

30-7-2020
सहायक कलक्टर
(उप. अ. अधि.) जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner

304, 175/319 के रूप में मौजा जालनियासर तहसील जायल मे अवस्थित रही है। उक्त में से खसरा नं. 82 व खसरा नं. 87 की भूमि जेठूसिंह के बंट व कब्जे काश्त में रही श्री जेठूसिंह के कोई पुत्र नहीं था केवल लड़कियां ही थी। जेठूसिंह को रूपये की यकता जायज जरूरत होने पर दिनांक 12.05.1972 को रूपये 3000/– प्राप्त कर वादी क्ष में पंजीयन कार्यालय में तकनीकी समस्या व हिस्सेदारों के सहमति के हस्ताक्षर नहीं से स्टाम्प पर लिखीपढ़ी करके के बैचान कर दिया, परन्तु उक्त बैचाननामा पंजीयन नहीं का। उसके पश्चात यह तय हुआ कि हिस्सेदारो की सहमति के हस्ताक्षर करवार कर न उक्त बैचाननामा का करवा देगें। परन्तु उक्त बैचाननामें का पंजीयन नहीं हो सका समय निकलता गया। इस स्थिति में जेठूसिंह का वर्ष 1990 के बाद देहान्त हो जानें पर सिंह व मुकनसिंह के उतराधिकारियों ने जेठूसिह की लड़कियों का नाम जानबूझ कर नहीं करवाया। इसलिए राजस्व रेकर्ड में में नाम प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 का ही दर्ज जबकि प्रतिवादीगण को यह भलीभांति पता था कि खसरा नं. 82 व 87 की भूमि वादी खरीदसुदा भूमि है तथा उसी का कब्जा काश्त भी है। परन्तु खातेदारी की आड़ में दीगण द्वारा प्रशासन आपके गांव अभियान/प्रोगाम के दौरान 16.12.2001 को नायब लदार डेह के समक्ष खसरा नं. 82 व 87 को सामिल करते हुये वाद के पैरा संख्या 3 में नुसार सम्पूर्ण भूमि का आपस में विभाजन कर लिया। उक्त विभाजन के पश्चात भी खसरान की भूमि का कब्जा वापस प्राप्त करने के लिए जेठूसिंह ने कोई कार्यवाही की न ही प्रतिवादीगण द्वारा कार्यवाही की गई।

वादी फौज में नौकर है पिछले दिनों वह छुटी पर गांव आया तब दिनांक 02.03.2016 क दो दिन अफवाह सुनी की प्रतिवादीगण उक्त जमीन को बैचान करना चाहते है व ढूंढ रहे है तो वादी ने इन लोगो को ऐसा नहीं करने का कहा तो वादी के अधिकार नोती दी व कब्जा वापिस लेने की बात की। अधिवक्ता वादी ने निवेदन किया कि चूंकि भूमि का कब्जा प्राप्त करने के लिए जेठूसिह द्वारा कोईकर्यवाही नहीं की तथा अब दीगण द्वारा कोई कार्यवाही की गई है। अब इन लोगों का कब्जा प्राप्त करने का ार का उपचार समाप्त हो गया है कि क्योंकि कब्जा प्राप्त करने की सीमा व खातेदारी ार धारा 63 (4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान के कारण समाप्त गई है। वादी को वे सब अधिकार 27 मियाद कानून के प्रावधान के अनुसार प्राप्त हो गये है। दीगण द्वारा मुतदाविया खेताय खसरा नं. 82 व 87 की भूमि का अधिकार न होते हुये भाजन कर वादी के अधिकारों का हनन किया है। जिससे चलते दावा हाजा बमुकाम जालनियासर तहसील जायल पैदा हुआ है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जावे मुतदाविया खेताय की भूमि का वाद के पैरा संख्या 6 (1) के अनुसार खातेदारी में त किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद, वादी के कब्जे में हस्तक्षेप या न्दाजी नहीं करने के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने की इस्तदुआ वादी द्वारा अधिवक्ता वाद पत्र में की गई।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब गया। प्रतिवादीगण 1 से 9 की ओर से अधिवक्ता श्री दशरथसिह राठौड़, भगवानसिंह ने वकालात नामा व जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम के पेश किया प्रतिवादी संख्या 10

30.7.2020
सहायक कलक्टर
(उप. डी. ओ.) जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner

वाद पत्र में परफोर्मा पक्षकार है। दौराने वाद पक्षकारान् ने तारीख पेशी दिनांक 27.07.2020 को उपस्थित न्यायालय होकर के राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल मिशल किया गया तथा वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। चूंकि पत्रावली में पक्षकारान् के मध्य राजीनामा हो चुका है इस कारण प्रकरण में विवाद्यक विन्दू (तनकीयात्) तय किये जाने की आवश्यकता नहीं होने से तनकीयात कायम नहीं की गई तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

साक्ष्यवादी में शपथ पत्र वादी संतोषसिंह पुत्र हीरसिह पी.डब्ल्यू. 1 के प्रस्तुत किये गये जिस पर गवाह के बयान कलमबद्ध किये जाकर शामिल पत्रावली है। दस्तावेजी साक्ष्य के ...त के तौर पर नकल जमाबंदी ग्राम जालनियासर सम्वत् 2069–2072 खाता संख्या 16/13, 125/210, 23/20 पदर्श 1–4, 100 रू. के स्टाम्प पर की गई लिखापढ़ी पदर्श–5, नकल जमाबन्दी संवत् 2029–32 खाता संख्या 55 पदर्श–6, खसरा गिरदावरी सम्वत् 2033–36 पदर्श– 6–8 कराये जो शामिल मिशल है। अधिवक्ता वादी द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 9 के द्वारा वादपत्र को राजीनामा में स्वीकार किया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। चूंकि हस्तगत प्रकरण घोषणा खतेदारी है जिसमें में समस्त पक्षकारान वाद में संयोजित होना आवश्यक होता है तथा वाद पत्र में समस्त पक्षकारान् संयोजित है। वादपत्र को साबित करने के लिए पत्रावली में पदर्श कराये दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी ग्राम जलानियासर तहसील जायल सम्वत् 2069–72 खाता संख्या 16/13 अंकित खसरा की भूमि में बतौर काश्तकार इन्द्रसिंह पुत्र मुकनसिंह, प्रदर्श–2–3 नकल जमाबंदी ग्राम जालनियासर खाता संख्या 125/210 तथा खाता संख्या 124/209 में काश्तकार के रूप में पुष्पाकवंर, करणीसिंह, पूनमसिंह दर्ज है इसी प्रकार प्रदर्श–4 दस्तावेज नकल जमाबंदी सम्वत् 2069–2072 में खाता संख्या 23/20में भी बतौर काश्तकार उम्मेदसिंह, रतनसिह किशोरसिंह, रणवीरसिंह, मगनसिंह, सोनकवंर दर्ज है तथा अलग–2 हिस्सा बैंक के रहन का अंकन है।

इसी क्रम में नकल जमाबंदी ग्राम जालनियासर सम्वत् 2029 से 2032 खाता संख्या 55 प्रदर्श–6 में काश्तकार व खातेदार बेरीसालसिंह, जेठूसिंह, मगनसिंह, पि. बलवंतसिंह, शेरसिंह, इन्द्रसिंह पिता मुकनसिंह दर्ज है, जिससे मुतदाविया खेताय पक्षकारान् के पुश्तैनी होना प्रतीत होता है। पत्रावली में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2029 से 2036 प्रदर्श 7–8 के अवलोकन से पाया गया कि मुतदाविया खेताय की भूमि पर बतौर काश्तकार/खातेदार बेरीसालसिंह, जेठूसिंह, मगनसिंह, पि. बलवंतसिंह, शेरसिंह, इन्द्रसिंह पिता मुकनसिंह द्वारा बाजरा, मोठ, गवार की काश्त व अन्य काश्तकार हीरसिंह पुत्र मूलसिंह द्वारा भी काश्त की जाना प्रमाणित है, जो कि पक्षकारान् के पूर्वज होना साबित है। इसी प्रकार दस्तावेज प्रदर्श– 5 लिखित वैचान नामा स्टाम्प 100 रू. दिनांक 12.05.1972 बहक जेठूसिह पुत्र बलवंतसिंह राजपूत निवासी जालनियासर के अवलोकन ग्राम जालनियासर तहसील जायल के खसरा नं. 82 व 87 में वर्णित भूमि वादी संतोषसिंह पुत्र हीरसिंह को बैचान करने की गई। जिसमें फलतः हीरसिंह (वादी के पिता) की कब्जा–काश्त प्रदर्श–7–8 से

30.7.2020
सहायक कलक्टर
(एस. डी. ओ.) जायल (नागौर)

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

सम्पुष्ट हो रही है, जो कि वादी के पिता के कब्जे को प्रमाणित करने के साथ है, अपंजीकृत बैचाननामें की सत्यता को भी प्रमाणित कर रही है यतः उक्त बैचाननामें से खसरा नं. 82 रकबा 31.06 बीघा खसरा नं. 87 रकबा 6.10 बीघा वादी के पिता को प्रतिवादीगण के पूर्व स्व. जेठूसिंह द्वारा बैचान कर दिया गया एवं वादी के पिता ने कब्जा प्राप्त कर लिया लेकिन वादी के पिता का नाम **Record of Right** में नही लिखा गया जो वाद के पैरा संख्या 6(1) को सम्पुष्ट करता है। वकुलाय की बहस अन्तिम व दिनांक 27.07.2020 को न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किये गये राजीनामें में भी प्रतिवादीगण द्वारा मुतदाविया खेताय की भूमि को स्व. जेठूसिंह द्वारा वादी के पक्ष में जरिये लिखित स्टाम्प प्रदर्श–5 के बैचान कर दिया जाना तथा वाद पत्र में की इस्तदुआ को भी स्वीकार किया है।

अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत राजीनामा, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात प्रदर्श– 1 से 8 से वादी के पक्ष में प्रमाणित एवं साबित होता है तथा न्यायिक दृष्टिकोण से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को मध्यनजर रखते ग्राम जालनियासर के वर्तमान जमाबंदी अनुसार खसरा नं. 382/82, 372/82, 378/82, 82, व 87 में अंकित (पुराने खसरा नं. 82 रकबा 31.06 बीघा, खसरा नं. 87 रकबा 6.10 बीघा) मुतदाविया खेताय की भूमि के संबंध में स्वीकार जाकर माफिक राजीनामा डिक्री किया जाना न्यायालय मत में उचित व न्यायसंगत प्रतीत होता है।

– : : आदेश : : –

यत् वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :–

1. ग्राम जालनियासर तहसील जायल के वर्तमान खसरा नं. 382/82 रकबा 1.5135 हैक्टेयर, खसरा नं. 372/82 रकबा 1.5135, खसरा नं. 378/82 रकबा 0.0486 हैक्टेयर, खसरा नं. 82 रकबा 1.9911 हैक्टेयर तथा खसरा नं. 87 रकबा 1.0522 हैक्टैयर (पूराने खसरा नं. 82 व 87) वादी संतोषसिंह के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की घोषित की जाती है।
2. शेष खसरान् की भूमि यथावत् घोषित की जाती है।

डिक्री पर्चा तैयार हो। तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है कि वे माफिक डिक्री अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद सुनिश्चित करे। तद्नुसार तहरीर जारी हो।

30.7.2020
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 30/07/2020 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

30.7.2020
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

सहायक कलक्टर जायल (राज.)

Scanned with CamScanner

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 85/2016

वादी–
1. संतोषसिंह पुत्र हीरसिंह जाति–राजपूत निवासी–जालनियासर तहसील जायल

बनाम

1. उम्मेदसिंह पुत्र मगनसिंह
2. रतनसिंह पुत्र मगनसिंह
3. किशोरसिंह पुत्र मंगनसिंह
4. रणवीरसिंह पुत्र मगनसिंह
5. मु. सोनकवंर पत्नी स्व. मगनसिंह
6. पुष्पाकवंर पत्नी स्व शेरसिंह जातियान तमाम राजपूत निवासीगण जालनियासर (जायल)
7. इन्द्रसिंह पुत्र मुकनसिंह
8. करणसिंह पुत्र शेरसिंह
9. पूनमसिंह पुत्र शेरसिंह जातियान समस्त राजपूत निवासीगण जालनियासर तहसील जायल (नागौर)
10. सरकार जरिये तहसीलदार जायल

दावा अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–
वादी की ओर से अधिवक्ता श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी
प्रतिवादी संख्या 1 से 10 की ओर से अधिवक्ता श्री दशरथसिंह, भगवानसिंह
प्रतिवादी संख्या 11 राजपेरोकार उपस्थित।

– : : डिक्री आदेश : :–

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री एस.एस.कालवी अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 9 हाजिर श्री दशरथसिंह प्रतिवादी संख्या 11 सरकारी पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :–

1. ग्राम जालनियासर तहसील जायल के वर्तमान खसरा नं. 382/82 रकबा 1.5135 हैक्टेयर, खसरा नं. 372/82 रकबा 1.5135, खसरा नं. 378/82 रकबा 0.0486 हैक्टेयर, खसरा नं. 82 रकबा 1.9911 हैक्टेयर तथा खसरा नं. 87 रकबा 1.0522 हैक्टैयर (पूराने खसरा नं. 82 व 87) वादी संतोषसिंह के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की घोषित की जाती है।
2. शेष खसरान् की भूमि यथावत् घोषित की जाती है।

30-7-2020

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner

संतोषसिंह बनाम उम्मेदसिंह वगैरह
राजस्व वाद संख्या 85 / 2016

मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकदमे के मय व भरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – को अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30.07.2020 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि नर			फीस कमि नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

नोट :–

1. इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

30.7.2020
सहायक कलेक्टर एवं
सहायक कलक्टर
जायल (नागौर)
एस. डी. ओ.) जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner